

**प्रेस नोट**  
**दिनांक 13.10.2024, थाना को0मनकापुर**  
**जनपद गोण्डा।**

**थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 451/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तो 01. रवि वर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम बक्शीपुरवा मौजा भिटौरा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को आर0पी0 तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी श्री दयानन्द जयसवाल पुत्र रामअधार निवासी मो0 सुभाष नगर थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0मनकापुर पर सूचना दी गई कि दिनांक 09.09.2024 को विपक्षीगण द्वारा उनके परिजनों व उनके पुत्र को गाली गुप्ता देने लगे उनके पुत्र के विरोध करने पर वहाँ से चले गये कुछ देर बाद विपक्षीगण वादी के पुत्र को अकेला देखकर लाठी डण्डा आदि से मारे पीटे है जिससे उनके लडके को काफी चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 451/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम रवि वर्मा आदि 4 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 13.10.2024 को नामजद अभियुक्त 01. रवि वर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम बक्शीपुरवा मौजा भिटौरा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा को आर0पी0 तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रवि वर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम बक्शीपुरवा मौजा भिटौरा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0स0- 451/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर, जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ0नि0 प्रदीप सिंह सेंगर
02. हे0का0 रवीश कुमार
03. का0 ओमप्रताप यादव

**मीडिया सेल, गोण्डा।**